



537

न्यायालय प्रीति न राजस्व मण्डल रवा लेखर केस की पास
निगरानी 250-PBK-15

श्री संदीप डूबे
अभिभाषक द्वारा
कैम्प कोर्ट पर
प्रस्तुत

15/4/15

[Signature]
20-4-15

1. रमेश चंद्र आठ मरदा सिंह पट्टुंशी जाति जादा निवासी ठाकुर बाबा मोडला टिअरनी तह. टिअरनी जिला हरदा
2. ओमप्रकाश आठ मरदा सिंह पट्टुंशी जाति जादा निवासी शोबापुर जिला शोबापुर
3. अनूप सिंह आठ मरदा सिंह पट्टुंशी जाति जादा
4. आनंदी राम आठ मरदा सिंह पट्टुंशी जाति जादा
5. कलाबाई देवा मरदा सिंह पट्टुंशी जाति जादा निवासी ग्राम गाडामोड जलो तहसील टिअरनी जिला हरदा
6. नरवदी पुत्री मरदा सिंह परिन देवीसिंह पट्टुंशी जाति जादा
7. प्रोपती बाई पुत्री मरदा सिंह परिन सालकशम पट्टुंशी निवासी सुखी तह. शिवनीमालवा जिला होशंगाबाद ---- निगरानीकर्ता

बनाम

- ✓ 1. भीजराम आठ सीता राम पट्टुंशी जाति जादा निवासी नवागांव तह. टिअरनी जिला हरदा
- ✓ 2. अफल सिंह उर्फ अमर सिंह आठ कैसरेसिंह पट्टुंशी जाति जादा
- ✓ 3. विक्रम सिंह आठ सीता राम पट्टुंशी जाति जादा
- ✓ 4. हेमराज आठ सीता राम पट्टुंशी जाति जादा निवासी ग्राम नवागांव तह. टिअरनी जिला हरदा
- ✓ 5. जोशिता पुत्री सीता राम पट्टुंशी जाति जादा परिन लूडुम सिंह निवासी ग्राम गाडामोड जलो तहसील टिअरनी जिला हरदा
6. श्यामापुत्री मरदा सिंह परिन शिवाप्रसाद पट्टुंशी जाति जादा निवासी शिवनीमालवा जिला होशंगाबाद

[Signature]

- 7. अनीता पुत्री सरदार सिंह पतिन जितेन्द्र वसुंधरी जाति जादा
- 8. पुष्पाबाई पुत्री सरदार सिंह पतिन जवाहर लाल वसुंधरी जाति जादा
- 9. निर्मलाबाई पुत्री सीता राम पतिन रविशंकर जाति जादा
निवासी नदिया खेडा तह. खेटी जिला सोहोर
- 10. सोनाबाई देवा सरदार सिंह वसुंधरी जाति जादा
निवासी ठाकुर मोहल्ला टिअरनी जिला हरदा
- 11. उर्मिलाबाई पुत्री सरदार सिंह पतिन धनराज वसुंधरी जाति जादा
- 12. का चित्रीबाई पुत्री सीता राम पतिन रामभदोर निवासी
प्रतापपुरा तहसील नया हसूद जिला उण्डवा म. प्र.
- 13. निर्मला पुत्री सरदार सिंह पतिन जगदीश वसुंधरी
निवासी देवलजी तहसील नया हसूद जिला उण्डवा
- 14. शंकर बाई पुत्री सीता राम पतिन शैश वसुंधरी जाति जादा
निवासी शिव कातोनी आर्ष टी आर्ष रोड मकान नं. 25 होशंगाबाद
- 15. योगेन्द्र सिंह आठ हुकुम सिंह वसुंधरी निवासी ग्राम नयागांव
तहसील टिअरनी जिला हरदा ----- उत्तरवादीगण .
निसरानी तंगत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संडिता.

उपरोक्त निगरानीकर्ता न्यायालय प्रीमान अनु विभागीय अधिकारी द्वारा प्र.प्र. 15/अपील /13-14 में पारित आवेदन अंतिम आवेदन दिनांक 11.3.15 के विपरीत प्रथम जल शुद्धर निष्कर्ष के विरुद्ध एवं आधी से पर प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि उत्तरवादी प्र. 1 द्वारा ग्राम नयागांव तहसील प.स.नं. 4/6 तहसील टिअरनी जिला हरदा के संशोधन संज्ञी के दर्ज संशोधन प्र. 28/275 दर्ज दिनांक 24.12.12 की तारीख 15.10.13 को प्राप्त होने के विरुद्ध प्र. प्र. 15/अपील /13-14 में पारित टिअरनी के आवेदन प्रस्तुत की गयी जिसे निगरानीकर्ता / उत्तरवादी प्र. 1 द्वारा

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-850-पीबीआर/2015

जिला हरदा

रमेशचंद्र विरूद्ध भोजराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री संदीप दुबे उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11-03-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-04-2015 को पुनरीक्षण याचिका कैम्प भोपाल पर प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर हरदा के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p>	

हरदा
30/1/19

4

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर हरदा को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर हरदा के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर हरदा के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

62

(आर.के.जैन)
सदस्य 1119